

कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया।
दिनांक 30 वी मई, 2026.

आदेश सं०.344 Misc./2026.

आदेश सं 271/2026 दिनांक 24.04.2026 के आलोक में व्यवहार न्यायालय, खगड़िया परिसर में कैटीन संचालन हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी। **उक्त निविदा को उचित निविदाकार नहीं रहने के कारण रद्द किया जाता है।** इस निविदा में भाग लेने वाले पूर्व के निविदादाता को सूचित किया जाता है कि वे अपने आवेदन के साथ संलग्न किए गए बैंक ड्राफ्ट न्यायालय प्रबंधक के कार्यालय में आकर प्राप्त कर ले।

नाजिर, व्यवहार न्यायालय, खगड़िया को निर्देश दिया जाता है कि यह आदेश नजारत विभाग के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाय एवं सिस्टम अस्टिंट, व्यवहार न्यायालय, खगड़िया को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश को व्यवहार न्यायालय, खगड़िया के बेबसाईट पर अपलोड करे।



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
खगड़िया।